

प्रेस नोट कोतवाली कन्नौज दि०-28.08.20

अज्ञात हत्या के मामले में कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज दि० 28/08/2020 गिरफ्तार 03
नगर अभियुक्त सम्बन्धित मु०अ०स० 497/20 धारा 302/201/420/404/411 IPC

पुलिस अधीक्षक कन्नौज श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के निर्देशन में जनपद कन्नौज में हो रही हत्या की घटनाओं के अनावरण के क्रम में श्री फिनोद कुमार अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज व होराधिकारी नगर श्री शेषमणि उपाध्याय के परिवेक्षण में SHO श्री विकास राय के नेतृत्व में उ०नि० प्रेम विक्रम सिंह व उ०नि० निशास्तीन खॉ कोतवाली कन्नौज मय पुलिस थल के लगाया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 24/08/2020 को वादी मुकदमा शिवज बाल्मीकि पुत्र स्व० जयराम बाल्मीकि निवासी ग्राम गहलो थाना करा जिला कानपुर देहल ने थाना हाजा पर आकर एक लिखित तहरीर दी कि मेरे बहनाई ने दिनांक 20/08/2020 को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरे भाई धर्मेन्द्र को मारपीट कर जलाकर हत्या कर दी है । जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०स० 497/2020 धारा 302/201 IPC फंजीकृत किया गया था । जिसमें कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा चुनौतीपूर्ण घटना को अथक प्रयासों से अत्यन्त अल्प अवधि में अनावरण करते हुये दिनांक 27/08/2020 को SHO श्री विकास राय मय टीम उ०नि० विक्रम सिंह व उ०नि० निशास्तीन खॉ व का० 946 कृष्णपाल व न०का० 148 गौरी यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त में बाँधित अभियुक्तगण 1. मनीष बाल्मीकि पुत्र रमेश बाल्मीकि, 2. अजुज सक्सेना पुत्र राजेश सक्सेना, 3. सूरज बाथम पुत्र सन्तोष बाथम निवासीगण ईदगाह काशीराम कालोनी थाना व जिला कन्नौज निवासी को बस अड्डा कन्नौज से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से धोखाधड़ी करके एटीएम से निकाले हुये 40000 रुपये में से 30000 रुपये व एक अदद मोबाईल वीचो कम्पनी का जो मूलक का था व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल न० UP 74AA 8175 टीवीएस स्पोर्ट कम्पनी की बिना कागजात बरामद की गयी । जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 420/404/411 IPC की बढ़ोतरी की गयी । अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- मनीष बाल्मीकि पुत्र रमेश बाल्मीकि निवासी ईदगाह काशीराम कालोनी थाना व जिला कन्नौज
- 2- अजुज सक्सेना पुत्र राजेश सक्सेना निवासी ईदगाह काशीराम कालोनी थाना व जिला कन्नौज
- 3- सूरज बाथम पुत्र सन्तोष बाथम निवासी ईदगाह काशीराम कालोनी थाना व जिला कन्नौज

बरामद माल

धोखाधड़ी करके एटीएम से निकाले हुये 30000 रुपये व एक अदद मोबाइल वीचो कम्पनी मय एक अदद मोटर साइकिल बिना कागजात ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- SHO श्री विकास राय
- 2- उ०नि० विक्रम सिंह
- 3- उ०नि० निशास्तीन खॉ
- 4- का० 946 कृष्णपाल
- 5- न०का० 148 गौरी यादव

